

प्रेषक,

डी० के० सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, बहराइच, फर्रुखाबाद, कासगंज एवं बुलन्दशहर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 20 जनवरी, 2016

विषय: वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम०एच०ए० के पत्र संख्या-32-7/2014-एन०डी०एम०-१, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं०-३(क) के प्राविधान- प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मेडिकल केयर इटीसी. फार पीपुल अफेक्टेड इवैक्युवेशन, शेल्टर इन रिलीफ कैम्पस के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रु० 67,50,000/- (रूपये सङ्केत लाख पचास हजार मात्र)निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रम संख्या | जनपद का नाम पत्रांक व दिनांक | स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में) |
|-------------|--|---|
| 1 | फतेहपुर, पत्र संख्या-714, दिनांक 18 जनवरी, 2016 | 7,50,000 (कम्वल हेतु) |
| 2 | मुजफ्फरनगर, पत्र संख्या-64/65, दिनांक 20 जनवरी, 2016 | 5,00,000 (कम्वल हेतु) |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 3 | हरदोई, पत्र संख्या-263. दिनांक 18 जनवरी, 2016 | 12,50,000 (कम्बल हेतु) |
| 4 | वहराइच, पत्र संख्या-2600. दिनांक 20 जनवरी, 2016 | 10,00,000 (कम्बल हेतु) |
| 5 | फरूखाबाद, पत्र संख्या-127, दिनांक 20 जनवरी, 2016 | 7,50,000 (कम्बल हेतु) |
| 6 | कासगंज पत्र संख्या-742, दिनांक 22 जनवरी, 2016 | 7,50,000 (कम्बल हेतु) |
| 9 | बुलन्दशहर, पत्र संख्या-3944, दिनांक 21 जनवरी, 2016 | 17,50,000 (कम्बल हेतु) |
| | | रु0 67,50,000 |
| | | (रूपये सङ्करण लाख पचास हजार मात्र) |

2- उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आजमगढ के पत्र संख्या-1161, दिनांक 19.01.2016 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में अवशेष धनराशि रु0 6,80,000/- से तीन तहसीलों निजामाबाद, घूँटनपुर एवं सगड़ी के लिये अतिरिक्त कम्बल क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- उक्त स्वीकृति वे फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीषक "2245-प्राकृतिक विपति के कारण राहत-आयोजनेतर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा। शासनादेश संख्या-1092/1-10-2014-12(34)/03ठी0सी0-1, दिनांक 04.11.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

2/

(डी० के० सिंह)

सचिव।

संख्या- ५२) (1)/1-10-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-एथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषट, ३०प्र० लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, ३०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. य०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, ३०प्र०।
- 7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।